

दिनांक 07-08-2019

आज पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र दिनांक 05-07-18 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी को न्यायालय द्वारा बार बार निर्देशित करने के उपरान्त भी अप्रार्थीगण की तलबी हेतु तलबाना सम्मन प्रस्तुत नहीं किये गये हैं इससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र के प्रति गंभीर नहीं है तथा प्रार्थना पत्र को चलाना नहीं चाहता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र ब्रीच डिफाल्ट में खारिज किया जाता है। पत्रावली फौसल शुमार हो व बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश सुनाया गया।

21
उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौडा)